	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरूवार, शाके 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.9(73)राज-1/2024-23441:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जोधपुर जिले की तहसील चामू एवं शेरगढ़** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011	नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जोधपुर / चामू	रामसर / चामू	रामसर LG Code 85203	1583.4412	818	सुखदेवपाल नगर Sukhdevpal Nagar	58.7359	234	3	1524.7053
2		रामसिंह नगर / चामू	रामसिंह नगर LG Code 85325	131.8933	534	श्रीयादे नगर Shri YadeNagar	62.2157	280	1.5	69.6776

3		**भालू रतनगढ़ / चामू**	**रणजीत सिंह नगर** LG Code 85234	**118.3947**	**413**	**भालू बहमपुरी** **Bhalu Brihampuri**	**56.0335**	**205**	**1.5**	**62.3612**
4	**जोधपुर / शेरगढ़**	**साबरसर / शेरगढ़**	**शिवपुरा** LG Code 85456	**295.4528**	**499**	**विश्वकर्मा नगर** **Vishwakarma Nagar**	**76.2673**	**205**	**2**	**219.1855**
5		**रामनगर / शेरगढ़**	**रामनगर** LG Code 85426	**1005.2868**	**840**	**सेवासागर** **Sevasagar**	**81.3175**	**283**	**1.5**	**923.9693**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जोधपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

नरेन्द्र गुप्ता,

विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।